राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5146/2022

अरविन्द कुमार गुप्ता –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक,राजस्व मंडल अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2022
आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, खरकडा, तहसील जमवा रामगढ, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से तहसील करेडा जिला भीलवाडा 300 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था अतः स्थानान्तरण आदेश नियम विरूद्ध किया गया है। को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी की मां गंभीर ह्रदय रोगी है और केवल 20 प्रतिशत ह्रदय काम कर रहा है (अनुलग्नक–2), अतः मां की देखभाल करने वाला सदस्य एकमात्र अपीलार्थी ही है। अपीलार्थी के एक आठ माह की पुत्री है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर पटवारी के पद पर पटवार मंडल, खरकडा, तहसील जमवा रामगढ, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। आलोच्य आदेश राजस्व मण्डल के स्तर से जारी किया गया है तथा अपीलार्थी के लिए तहसील करेडा जिला भीलवाडा अंकित किया गया है जिसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि अपीलार्थी का पदस्थापन सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर द्वारा तहसील करेडा के किसी पटवार मण्डल पर किया जायेगा। अतः आलोच्य आदेश मात्र इसी कारण से ही दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से जारी किया गया है तथा किसी प्रकार की दुर्भावना की स्थिति नहीं है। स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक कारणों से किया गया है तथा टीए/डीए एवं योगकाल नियमानुसार देय किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक विसंगति प्रतीत नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण अपील अपीलार्थी एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य